AN HON. MEMBER: Why should Members be spared?

SHRI DAVID LEDGER: I do not say that Members should be spared. MPs also have been victims of this malpractice. Madam, I was also a victim, along with a number of MPs. We were served bills whcih were not correct, and we demanded detailed statements from the Department. These statements have not come to us as yet. Our salaries and allowances were deducted. We wrote to the Minister. I personally wrote to the Minister and, mercifully, the deduction was stopped. But I am told that they are going to start it all over again and this time they are not going to deduct the full salary but only half the salary. Even if this is done, it is going to be a grave injustice. The newspapers are full of reports. Even today's newspaper has a write-up on this. So I would like to request the Minister to give an assurance to us in this House that he will institute a thorough inquiry into these malpractices and also assure us that subscribers are not put to such inconvenience in future and MPs, in particular, are not harassed.

SHRI RAJESH PILOT: It is a fact. There are two types of complaints on the billing. One is wrong billing and another is where a call is made on some other number and the bill is on some other number. These are the two complaints which came to my notice. As far as the billing is concerned, the Government has taken a decision that whenever a wrong bill comes, you take a provisional bills based on average for your last 6 months bill and deposit the amount. In such a situation your telephone will never be disconnected. Every two months there will be a committee sitting in a paritcular district or division, which will go into the dispute whether it is right or wrong, and will come up with a statement that these calls were made by so and so at so and so time. The second point was where the call is made from some number and the bill is put on some other number. It is a fact that there are a lot of such problems in Bombay, Calcutta and Delhi. In such cases revenue leakages are also there. There were complaints that you may call anywhere; you just pay Rs. 1,000/- per months. There were some complaints against such sta. We immediately took a decision and handed over the whole functioning of the Department to the CBI. We have caught some people in Bombay. There is a lot of improvement and revenue is now coming up. We have registered those cases with the Police and action is being taken. The point is that the revenue leakage is a national loss. It is a national loss and it is a burden on some individuals. So, on both sides we have taken decisions. My only problem is that publicity is not given to all these decisions, like the decision of provisional bill taking six months average Bill you pay. Not many people know about it. When they go to Office, the clerk there really does not take action. So, the common citizen is harassed. I am trying to improve the channels and most probably it will be written on every Exchange and every Accounts Officer will ensure that these rules are adopted.

उपसभापति : मंत्री जी, यह बात जिन लोगों के साथ है, आप सब को चिट्ठी लिखकर भिजवा दें।

SHRI RAJESH PILOT: About the MPs, let me tell you I have requested my friends, Shri Sahu, Shri Bhuvnesh Chaturvedi and Shri Sharad Dighe to sit together, get all such disputed bills from the hon. Members. I will personally look into them with the help of this Committee.

Request for Constitution of Fifth Pay Commission

*382. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have been requested to constitute the Fifth Pay Commission to make further revision of pay scales of Government employees in view of rising prices of daily use items;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether any action on these requests have since been taken; and

(d) if so, details thereof and if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE): (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

श्री सैयद सिब्ते रज़ी : महोदया, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में साफ-साफ कह दिया है कि प्रश्न नहीं उठता। किन्तु मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार की जो पोलिसी है उसके लिहाज से हर दस साल के बाद इस प्रकार का कमीशन बनाना चाहिए, जिसमें हमारे केन्द्रीय कर्मचारियों के वेजेज और डी०ए० के बारे में विचार विमर्श किया जाए। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि 10 साल का पीरियड पिछले जितने भी पे-कमीशन . . **(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order please. Let him be heard.

श्री सैयद सिब्ते रज़ी : जितने भी पे-कमीशन थे, वह दो-दो, तीन-तीन साल देरी से बने हैं। सन् 1973 में जो थर्ड पे-कमीशन बना था वह तेरह साल के पीरियड में बना और चौथा पे-कमीशन सन् 1986 में बना, जबकि उसको 1973 के हिसाब से पहले बन जाना चाहिए था। यह भी तीन साल लेट हुआ। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्होंने जो यह कहा है कि पांचवें पे-कमीशन की कोई मांग अभी नहीं आई है, जबकि फोर्थ पे-कमीशन बिना किसी मांग के बनाया गया था। तो क्या आप इस बात पर विचार करेंगे कि इस पे-कमीशन को दस साल के अन्दर-अन्दर ही बनाना है और इस सिलसिले में आपने क्या कार्रवाई कर ली है ? . . . **(व्यवधान)**

उपसभापति : आप भी थोड़ा सवाल **संक्षेप में करें तो बोर्ड जल्दी** बन जाएगा।

श्री सैयद सिब्ते रज़ी : जो यह डिमांड आपके सामने चल रही है कि एक परमानेंट वेज बोर्ड बनाया जाए और अगर परमानेंट वेज बोर्ड बनता है तो उसकी मुद्दत 10 साल होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से **प्राईवेट-राइज़** हो रहा है उससे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी जिनका कार्यक्षेत्र पूरे भारत में है . . . **(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please be short.

SHRI SYED SIBTEY RAZI: I am trying to make it short, but kindly let me explain my point. There is no need for me to put a question, if I do not convey my points.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him answer that point. You can put another supplementary. You have a right

श्री सैयद सिब्ते रज़ी : मैडम, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या 10 साल के बजाय बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए वेज बोर्ड को आप 5–5 साल के बाद बिठाएंगे ?

उपसभापति : प्वाइंटेड जवाब दीजिए मंत्री जी।

श्री शान्ताराम पोटदुखे : मैडम, आनरेबल मेंबर साहब ने जो पूछा है उसके मुताबिक पहला कमीशन 1946 में हुआ, सेकेंड 1957, थर्ड 1970 और फोर्थ 1983, दूसरी बात जो उन्होंने पूछी बढ़ती हुई महंगाई के बारे में, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो महंगाई बढ़ती है उसके बारे में, महंगाई के मुताबिक वर्कर को ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। अभी इसके बारे में पे-कमीशन बिठाने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात जो उन्होंने पूछी क्या अभी पांच साल के अंदर बिठाएंगे, यह तीसरी बात उन्होंने पूछी, मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि एक रे-कमीशन बैठा हुआ है और वह जांच कर रहा है, उसका रिपोर्ट जब आ जाएगा, तब उसके बारे में कुछ कहा जाएगा।

उपसभापति : सेकेंड सप्लीमेंटरी।

श्री सैयद सिब्ते रज़ी : रे-कमीशन की बात आई। रे-कमीशन, चार महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट देने

की बात कही गई थी। क्या उस सिलसिले में आप बताने का कष्ट करेंगे कि वह रिपोर्ट तैयार है या उन्होंने और समय मांगा है। नम्बर दो, मैं जानना चाहूंगा कि पिछले फोर्थ कमीशन ने 168 रिकमंडेशंस दी थीं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उसकी मुख्य रिकमेंडेशंस जो थीं 168 में, उनमें से किन-किन का इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है और डी. ए. का जो समय निर्धारित किया था, उस समय से क्या सरकार अपने इम्प्लायीज को, केन्द्रीय इम्प्लायीज को देती रहती है या मुख्तलिफ कमेटीज को इस प्रश्न को वह संदर्भित कर देती है।

श्री शान्ताराम पोटदुखे : मैडम, रे-कमीशन को बिठाया गया है और उसको जो अवधि दिया गया है वह चार महीने का दिया गया है और वह अवधि पूरा होने को है।

श्री सैयद सिब्ते रजी : फर्दर टाइम तो नहीं मांगा है उन्होंने, मैं यह जानना चाहता हूं क्योंकि चार महीने तो पूरे होने जा रहे हैं।

श्री शान्ताराम पोटदुखे : अभी तक टाइम तो नहीं मांगा है उन्होंने। जहां तक महंगाई का सवाल है मैंने पहले ही कहा था कि महंगाई भत्ता 6 महीने के अंदर दिया जाता है ... (**व्यवधान**)

श्री सैयद सिब्ते रजी : I need your protection. मैंने कहा था कि पिछले फोर्थ कमीशन ने 168 रिकमंडेशंस दी थीं इम्प्लायीज के बारे में... (**व्यवधान**)

उपसभापति : उनके सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री सैयद सिब्ते रजी : उन 168 रिकमंडेशंस में से कितनी इम्प्लीमेंट कर दी हैं सरकार ने अब तक ? वह भी 10 साल का अरसा हो गया है।

SHRI SHANTARAM POTDUKHE: I need a separate notice for this.

श्री अजीत जोगी : यह तो बिल्कुल उसी से संबंधित है... (**व्यवधान**)

श्री शंकर दयाल सिंह : उपसभापति महोदया, यह जो पे-कमीशन की बात यहां चल रही है सरकारी कर्मचारियों के लिए तो जब आपने फाइनेंस कमीशन की घोषणा की थी तो उसके साथ-साथ करना चाहिए था। संभवतः सरकार इस बात का इंतजार कर रही हो कि महंगाई और पूरी बढ़ जाए तब उसके बाद हम पे-कमीशन बनायेंगे। लेकिन अभी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज पूरा दिल्ली जो है उसमें नए वेतन बोर्ड को लेकर अखबारों की हड़ताल चल रही है और महोदया, इसमें दिल्ली स्टेट न्यूजपेपर इम्प्लायीज एसोसिएशन, दिल्ली जर्नलिस्ट ऐसोसिएशन, दिल्ली यूनियन आफ जर्नलिस्ट, तीनों ने इसकी मांग की है कि नए वेतन बोर्ड का गठन होना चाहिए और सरकार भी इस बात को जानती है कि बछावत कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद भी सरकार ने उसको लागू करने की दिशा में कोई भी पहल नहीं की। मैं जानना चाहता हूं सरकार, से, इसी से मिला-जुला यह है कि वह जो आप करने वाले हैं पांचवें वेतन कमीशन की रिपोर्ट तो पहले आप ये बताइए कि नए वेतन बोर्ड जर्नलिस्टों के लिए, इसकी घोषणा हो, सरकार की ओर से इसमें क्या पहल की जाएगी ?

उपसभापति : ना कह दिया है उन्होंने।

श्री शान्ताराम पोटदुखे : मैडम, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए वह यह सवाल न उठायें .. (**व्यवधान**)

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: It is not a question of the Labour Minister only किसी भी मिनिस्टर को रिऐक्ट करना चाहिए इस पर, सरकार की ओर से।

SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Madam Deputy Chairman, it is the usual practice to have a Pay Commission after a gap of a few years. Every Pay Commission seems to take extra pains to ensure that it removes imbalances, disparities and anomalies. But the fact remains that the recommendations of every Pay

Commission are not fully implemented. May I, therefore, know from the hon. Minister whether this fact will be borne in mind at the time of finalisation of the terms of reference of the Pay Commission and whether the terms of reference will be so exhaustive that as far as possible there is no anomaly or disparity in future in order to avoid discrimination among the various categories of employees?

उपसभापति : इनका जो सजेशन है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा।

SHRI SHANTARAM POTDUKHE: Yes, Madam.

श्री चतुरानन मिश्र : उपसभापति महोदया, पे-कमीशन बिठाने के लिए बहुत पे कारण होते हैं और वह यह है कि स्केल में जब स्टैगनेशन हो जाता है, तब जरूरत पड़ती है कि स्टैगनेशन को रोकने के लिए नया पे-कमीशन बने और दूसरी बात जिसको लेकर और जरूरी है कि पूरे देश में जो संपत्ति का विकास होता है, उसमें सरकारी सेवकों का जो रोल रहता है तो उसके लिए उनको कुछ बढ़ना चाहिए या नहीं, इस पर हम विचार करते हैं लेकिन आम तौर पर ऐसा हुआ है कि हड़ताल होती है, एजीटेशन होता है, गोली-धोली चलती है तब सरकार बिठाती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप हड़ताल और गोली-कांड का इंतजार कर रहे हैं या योंही बिठा देंगे ?

श्री शान्ताराम पोटदुखे : मैडम, आनरेबल साहब ने जो पूछा है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि रे-कमीशन जो बैठा है वह इसी के बारे में जांच कर रहा है। उसकी रिपोर्ट जब आ जाएगी, तब उसके बाद विचार करेंगे।

SHRI SARADA MOHANTY: Madam, I want to know whether the hon. Minister is aware of the fact that the doctors of the Central Police Organisation have not yet taken the benefit of the Fourth Pay Commission recommendations and the matter is pending with the Ministry of Finance. When is it going to be cleared?

THE DEPUTY CHAIRMAN: He said that the Fourth Pay Commission recommendations जो डाक्टर्स के बारे में थी उनका अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है।

SHRI SHANTARAM POTDUKHE: I have no information about it. (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 383. (*Interruptions*).

SHRI SUKOMAL SEN: Madam, it is a very serious question. I want to raise one point.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 383, please. (*Interruptions*). I know that it is very important. But the time of the House is also important.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : आप इस पर हाफ-एन-आवर डिस्कशन करवा दीजिए।

THE DEPUTY CHAIRMAN: You write to me. Then I will consider it.

SHRI ASHIS SEN: Madam,...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have not identified you.

SHRI ASHIS SEN: Why don't you please identify me?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have already identified Mr. Bhandare.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Because I have asked the question, it is written against my name. Madam, I think you cannot identify anyone else.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Correct, I cannot. I have to identify only you.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: I am very grateful to you.